

08.05.2025:—पत्रावली आज पेशी में आई। प्रार्थी वकील उपस्थित है। प्रार्थी का मूल वादपत्र डिकी हो गया। मूल वाद पत्र डिकी होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त कर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर
उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़